भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4101

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

कासगंज से गंगा नदी का कटाव

4101. श्री देवेश शाक्य:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में कासगंज ब्लॉक और शावर पटियाली से गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए कोई परियोजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है और यदि नहीं,तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उक्त कटाव के कारण खाली हुई सैकड़ों हेक्टेयर भूमि का लाभ किसानों/भूमि के मालिकों को पहुंचाने के उद्देश्य से इस पर अवैध कब्जे हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): कटावों का नियंत्रण सहित बाढ़ प्रबंधन राज्यों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है। संबंधित राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकता के अनुसार बाढ़ प्रबंधन और कटावरोधी योजनाओं को तैयार करके कार्यान्वित करती हैं। केन्द्र सरकार महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हुए राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, कासगंज जिले की कासगंज तहसील, सहावर और पटियाली में गंगा नदी के कटाव को रोकने के लिए छह परियोजनाएं तैयार की गई थीं। इनमें से निधियों की उपलब्धता के आधार पर चार परियोजनाओं को तकनीकी मूल्यांकन के लिए लिया गया है। चार परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. पटियाली तहसील में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर गांव सहबाजपुर में स्पर्स और कटाव रोधी सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण।

2. पटियाली तहसील में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर गांव बड़ी बगवास में स्पर्स और कटाव रोधी सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण।

3. पटियाली तहसील में गंगा नदी के दाहिने तट पर गांव सुनगढ़ी में स्पर्स एवं कटाव रोधी सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण।

4. पटियाली तहसील में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर गांव कादरगंज में स्पर्स और कटाव रोधी सुरक्षात्मक कार्यों का निर्माण।

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उपर्युक्त परियोजनाओं को आगामी बाढ़ अवधि से पहले पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग): उत्तर प्रदेश सरकार ने जानकारी दी है कि बाढ़ के दौरान गंगा नदी की सैकड़ों हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाती है। भूमि पर कोई अवैध कब्जा नहीं है। अधिकतर भूमि बड़े क्षेत्रफल वाली है जिनमें बहुत से सह-शेयरधारक पंजीकृत हैं। सह-शेयरधारकों की आपसी सहमति के आधार पर राजस्व विभाग द्वारा उन्हें कब्जा दिया जाता है।

*****